



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

संख्या:- 03/24/गोपन-2/CJ-JD (Pre)-2021/2021-22,

दिनांक: 19 अप्रैल, 2022

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2022 को आयोजित **उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2021** के प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाता है-

800132	800348	800439	800493	800500	800582	800645	800723		
800747	800976	801165	801504	801875	802032	802273	802312		
802355	802438	802512	802878	803042	803110	803425	803430		
803496	803627	803628	803881	803999	804000	804123	804150		
804280	804288	804415	804999	805106	805677	805849	805995		
806200	806279	806344	806385	806409	806687	806724	806789		
806837	807286	807638	807702	808053	808081	808131	808323		
808350	808356	808818	808977	809291	809478	809700	809797		
809888	810322	810356	810377	810589	811103	811257	811881		
812050	812144	812186	812472	812796	812881	813055	813192		
813311	813323	813838	813929	814325	814334	814448	814796		
815099	815454	816008	816166	816374	816854	816992	817067		
817161	817184	817931	817957	818012	818068	818199	818302		
818316	818670	819205	819224	819537	819586	819602	820211		
820279	820356	820519	820674	820727	820964	821139	821335		
821567	821593	821765	822540	822894	823404	823697	823758		
824237	824285	824507	824769	824986	825775	825918	825934		
826559	827146	831364	Total: 139						

नोट-

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके आनलाईन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे एवं अभिलेख असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. मुख्य परीक्षा एवं कम्प्यूटर आधारभूत ज्ञान की परीक्षा **दिनांक 02 अगस्त से 05 अगस्त 2022 तक** प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाईट पर पृथक से प्रसारित की जायेगी।

3. अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स के सम्बन्ध में विवरण आयोग की वेबसाईट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। अतः कृपया अभ्यर्थी इस संबंध में पृथक से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत कोई अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

--Sd--
(कर्मेंद्र सिंह)
सचिव